

जन्म और मृत्यु निबंधन हेतु प्रशासनिक ढाँचा

स्तर	प्राधिकारी	जन्म और मृत्यु अधिनियम के अधीन पदनाम
राज्य	संयुक्त निदेशक, जीवनांक	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार
	उप निदेशक, जीवनांक	उप-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार
जिला, प्रखंड एवं उनके नीचे	जिला पदाधिकारी	जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
	प्रखंड विकास पदाधिकारी	अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), ग्रामीण
	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), शहरी
	पंचायत सचिव	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), ग्रामीण
	उपाधीक्षक-चिकित्सा महाविद्यालय/सदर अस्पताल। चिकित्सा पदाधिकारी-रेफरल अस्पताल।	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
	आँगनबाड़ी सेविका	उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)

जन्म और मृत्यु निबंधन प्रक्रिया

कब?	कहाँ?	शुल्क	कैसे?	कौन?
जन्म और मृत्यु की घटना के 21 दिन के अन्दर	औंगनबाड़ी केन्द्र (ग्रामीण क्षेत्र), पंचायत इकाई, सरकारी अस्पताल। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, चिकित्सा महाविद्यालय, छावनी परिषद	निःशुल्क	अभिवावक द्वारा प्ररूप-1(जन्म) प्ररूप-2(मृत्यु) में सूचना देकर अथवा संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सूचना प्राप्त करा।	<ul style="list-style-type: none"> • उप-रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु) • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), ग्रामीण। • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), शहरी • उपाधीक्षक-चिकित्सा महाविद्यालय/सदर अस्पताल। • चिकित्सा पदाधिकारी-रेफरल अस्पताल। • प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
जन्म और मृत्यु की घटना के 21 दिनों के बाद किन्तु 30 दिनों के भीतर	ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इकाई, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद	2 रूपये	अभिवावक द्वारा प्ररूप-1(जन्म), प्ररूप-2(मृत्यु) में सूचना देकर अथवा संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सूचना प्राप्त करा।	<ul style="list-style-type: none"> • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), ग्रामीण - पंचायत इकाई। • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद)।
जन्म और मृत्यु की घटना के 30 दिनों के बाद किन्तु 1 वर्ष के भीतर	ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इकाई, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत इकाई, छावनी परिषद	5 रूपये	<ul style="list-style-type: none"> • अभिवावक द्वारा निबंधन हेतु आवेदन • आवेदन के साथ नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ पत्र को संलग्न करना। • पंचायत सचिव द्वारा घटना का 	<ul style="list-style-type: none"> • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), ग्रामीण - पंचायत इकाई। • रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद)।

			<p>भौतिक सत्यापन</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्रों के लिए(सरकारी अस्पताल को छोड़कर) प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए(सरकारी अस्पताल को छोड़कर) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा विलम्बित आदेश प्राप्त करना। 	
जन्म और मृत्यु की घटना के 1 वर्ष के बाद	ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इकाई, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद इकाई	10 रूपये	<ul style="list-style-type: none"> अभिवावक द्वारा निबंधन हेतु आवेदन। अनुमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निबंधन हेतु विलम्बित आदेश प्राप्त करना। 	<ul style="list-style-type: none"> रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), ग्रामीण - पंचायत इकाई। रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद)।
जन्म की घटना का निबंधन बिना नाम के किये जाने की स्थिति में 12 माह के भीतर शिशु का नाम जोड़ना।	ऑगनबाड़ी केन्द्र (ग्रामीण क्षेत्र), पंचायत इकाई, सरकारी अस्पताल। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, चिकित्सा महाविद्यालय, छावनी परिषद	निः शुल्क	<ul style="list-style-type: none"> अभिवावक द्वारा नाम जोड़ने हेतु आवेदन। नाम की प्रविष्टि। 	<ul style="list-style-type: none"> उप-रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु) रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), ग्रामीण। रजिस्ट्रार(जन्म और मृत्यु), शहरी उपाधीक्षक-चिकित्सा महाविद्यालय/सदर अस्पताल। चिकित्सा पदाधिकारी- रेफरल अस्पताल। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
जन्म की घटना का निबंधन	संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत	5 रूपये	<ul style="list-style-type: none"> अभिवावक द्वारा नाम जोड़ने हेतु आवेदन। 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) ग्रामीण। संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म

बिना नाम के किये जाने की स्थिति में 1 वर्ष के बाद परन्तु 15 वर्ष के भीतर नाम जोड़ना।	इकाई तथा सरकारी अस्पताल। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर नरिषद, नगर पंचायत, चिकित्सा महाविद्यालय, छावनी परिषद एवं सरकारी अस्पताल।		<ul style="list-style-type: none"> • नाम की प्रविष्टि। 	और मृत्यु) शहरी।
--	--	--	---	------------------

नोट: कठिनाईयों का समाधान

जन्म और मृत्यु निबंधन में कठिनाई होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) अथवा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से सम्पर्क करना उपयुक्त होगा। समाधान नही होने पर संयुक्त निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना से सम्पर्क किया जा सकता है।